न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 133/2017 **दायरा दिनांक : 18.07.2017**

उनवान

1— देव लाल उर्फ देवीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— गुमान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— बाल चन्द पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— श्रीमती कमली बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— मोहन लाल आत्मज मोती मोहनलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— कालूलाल आत्मज श्री लाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— उम्मेदमल आत्मज श्री भैरूलाल जी, जाति अहीर, निवासी ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— मैनेजर सी. बी. आई. बैंक ब्रान्च पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता एवं श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक
अपीलांट की ओर से
श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 31/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत विभाजन स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 104 व 241 वाके ग्राम खोद, तहसील पचपहाड़ के सम्बन्ध में वादी के हक व हिस्से तक का बंटवारा किये जाने हेतु विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने खाता अलग किया जाकर कब्जा कन्फर्म किये जाने की आज्ञा देकर बंटवारा प्रस्ताव मंगाये जाने का निर्णय एवं डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है । जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादी की अनुपस्थिति में सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किय बिना ही, पक्षकारान की सहमति के बिना ही, पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुए बिना ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना कर, अपीलांट पर सम्मन की तामील करवाकर, जवाबदावा प्रस्तुत करने

का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर बाद शहादत फरीकेन बहस समाअत कर दावे का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2017 अपास्त किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.08.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाय।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा